प्रकरण संख्या : 3/2023
घासी बनाम राज॰ सरकार
निर्णय दिनांक : 21.06.2024

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा (जिला दौसा)

पीठासीन अधिकारी का नाम	:	मनीष कुमार जाटव, (आर॰ए॰एस॰)
प्रकरण संख्या	:	3/2023
दायर दिनांक	:	14.02.2023
निर्णय दिनांक	:	21.06.2024

1. घासी पुत्र रेवड जाति कुम्हार, निवासी ग्राम भण्डाना तहसील दौसा जिला दौसा

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा जिला दौसा

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज॰ भू–राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज॰ भू–राजस्व अधिनियम 1956 पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी ग्राम भण्डाना तहसील दौसा जिला दौसा का रहने वाला है। ग्राम भण्डाना तहसील दौसा जिला दौसा में कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 45 रकबा 1.12 है॰, खसरा नम्बर 46 रकबा 0.46 है॰, खसरा नम्बर 47 रकबा 0.53 है॰ स्थित है। जिसका प्रार्थी एकमात्र खातेदार काश्तकार व मालिक स्वामी है। उक्त भूमि से किसी दीगर को कोई लेना देना वास्ता सरोकार नहीं है। प्रार्थी अपनी उक्त भूमि में फसल पैदावार करता है और प्रार्थी अपनी भूमि की फसल की सुरक्षा हेतु अपनी भूमि के चारों ओर मिट्टी की कच्ची डोली व तारबन्दी जानवरों से अपनी फसल की सुरक्षार्थ लगाना चाहता है ताकि प्रार्थी की भूमि की सुरक्षा रहे व प्रार्थी की फसल की सुरक्षा रहे। प्रार्थी की उक्त भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 14.04.2022 को हो चुका है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी की खातेदारी कब्जे काश्त उपयोग उपभोग की कृषि भूमि खसरा नम्बर 45 रकबा 1.12 है॰, खसरा नम्बर 46 रकबा 0.46 है॰, खसरा नम्बर 47 रकबा 0.53 है॰ वाके ग्राम भण्डाना तहसील दौसा जिला दौसा का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमाये जाने की कृपा करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी की गयी। अप्रार्थी तहसीलदार दौसा ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम भंडाना तहसील दौसा में खसरा नम्बर 45 रकबा 1.12 है॰, खसरा नम्बर 46 रकबा 0.46 है॰, खसरा नम्बर 47 रकबा 0.53 है॰ भूमि का खातेदार घासी पुत्र रेवड जाति कुम्हार) सा॰देह के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त भूमि का पूर्व में सीमाज्ञान किया जा चुका है एवं भूमि मौके पर खाली है। पडौसी खातेदारों को सुना जाकर पत्थरगढी आदेश किया जाना उचित होगा।

प्रकरण में बहस सुनी गई। [illegible] की ओर से कथन किया गया कि प्रश्नगत आराजी की खातेदारी प्रार्थी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रश्नगत आराजी का पूर्व में सीमाज्ञान भी किया जा चुका है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढी किये जाने के आदेश प्रदान किये जावें।

उपखण्ड अधिकारी दौसा (राज॰)

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी प्रश्नगत आराजी की पत्थरगढी करवाना चाहता है। तहसीलदार दौसा ने अपने जवाब में कथन किया है कि प्रश्नगत आराजी प्रार्थी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि का पूर्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Manish Kumar Jatav
Date: 2024.09.24 09:42:47 IST
Reason: SelfAttested

में सीमाज्ञान किया जा चुका है। पडौसी खातेदारों को सुना जाकर पत्थरगढी आदेश किया जाना उचित होगा। चूँकि प्रश्नगत आराजी की खातेदारी वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के नाम दर्ज है एवं प्रश्नगत आराजी पर किसी न्यायालय का स्थगनादेश होने के संबंध में तहसीलदार दौसा ने कोई टिप्पणी नहीं की है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज० भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार दौसा को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी की ग्राम भंडाना तहसील दौसा स्थित खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 45 रकबा 1.12 है०, खसरा नम्बर 46 रकबा 0.46 है०, खसरा नम्बर 47 रकबा 0.53 है० का अनुभवी पटवारियों/भू–अभिलेख निरीक्षक की टीम गठित कर सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवायी जावे। प्रार्थी से नियमानुसार राजकीय शुल्क वसूल किया जावे। पत्थरगढी से पूर्व तहसीलदार प्रार्थी की उक्त भूमि के समीपवर्ती काश्तकारों को प्रार्थी के खर्चे पर लिखित में सूचना देगा। उक्त आदेश केवल पत्थरगढी का है, जिसमें किसी प्रकार का कब्जा नहीं सम्भलाया जावे। अगर पुलिस जाब्ते की जरूरत हो, तो पुलिस से समन्वय कर पुलिस/होमगार्ड इमदाद प्राप्त की जावे। तहसीलदार दौसा को पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा न्यायालय की मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड मजिस्ट्रेट दौसा, जिला दौसा

(मनीष कुमार जाटव)
उपखण्ड अधिकारी, दौसा
उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Manish Kumar Jatav
Date: 2024.09.24 09:42:47 IST
Reason: SelfAttested